न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 7/2023

प्रेमनाथ बनाम राजूनाथ वगैरह अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज. अधि. 1956

प्रेमनाथ पुत्र भभूतनाथ जाति जोगी उम्र.73. निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर
प्रार्थी

बनाम

1. राजूनाथ पुत्र देवनाथ जाति जोगी उम्र 46 निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर
2. गहलपुर किस्तूरी पत्नि स्व. मालनाथ जाति जोगी उम्र..6.5. निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
3. गीता पत्नि जीवणनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
4. कालूनाथ पुत्र जीवणनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
5. सीमा पुत्री जीवणनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
6. बाबूलाल नाथ पुत्र मालनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
7. मोतीनाथ पुत्र मालनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
8. रामनारायण पुत्र मालनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
9. लक्ष्मण नाथ पुत्र मालनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
10. सोहन नाथ पुत्र मालनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
11. सोहनी देवी पुत्री मालनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
12. गोपाल नाथ पुत्र देवानाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
13. नोरत नाथ पुत्र देवानाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
14. मोहन नाथ पुत्र देवानाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
15. राजू नाथ पुत्र देवानाथ जाति जोगी अरांई जिला अजमेर राजस्थान। निवासी गहलपुर तहसील
16. रामेश्वर नाथ पुत्र देवानाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
17. रूकमा पत्नि सुखदेवनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
18. लालानाथ पुत्र सुखदेवनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
19. गिरधारी पुत्र सुखदेवनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
20. सीता पुत्री सुखदेवनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
21. एजन पुत्री सुखदेवनाथ जाति जोगी . निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
22. सोना पुत्री सुखदेवनाथ जाति जोगी निवासी गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
23. भू–धारक जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राज०
24. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा अरांई जिला अजमेर राज०

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956

आदेश

1. संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी के कब्जे काश्त की सहखातेदारी की भूमि गहलपुर तहसील अराई के आराजी खसरा नं0 896/475 रकबा 0.1456 हैक्टेयर है । जो प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है । तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है अप्रार्थी सख्या 01 खसरा नम्बर 903/475 का खातेदार होने के कारण व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 11 खसरा नम्बर 895/475 के खातेदार होने के कारण व 12 लगायत 22 खसरा संख्या 906/475 के खातेदार होने के कारण व अप्रार्थी संख्या 23 भूमिधारक होने के

उपखंड अधिकारी

कारण व अप्रार्थी संख्या 24 के यहाँ भूमिरहन होने के कारण पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हुआ तथा सुखदेवनाथ पुत्र देवानाथ फौत होने के कारण उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 22 को पक्षकार बनाया गया है इसी प्रकार जीवणनाथ पुत्र मालनाथ फौत होने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 को पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थी ग्राम गहलपुर के आराजी खसरा नम्बर 896/475 रकबा 0.1456 हैक्टयेर नक्शे में गलत जगह दर्ज होने से शुद्धी करवाने हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

यह कि ग्राम गहलपुर के संवत 2027 के नक्शे में दो खसरा नम्बर 475/2 व 475/4 संलग्न नक्शें अनुसार दर्ज है। तत्पश्चात ग्राम गहलपुर के खसरा नम्बर 475/2 में नामान्तरण संख्या 445 स्वीकृत दिनांक 22/06/2009 (बंटवारा) से कुल 11 टुकडे होकर जमाबन्दी में दर्ज हुये। जिनमें से एक खसरा नम्बर 475/2/7 रकबा 0.05.00 बीघा किस्म गै. मु.चाह दर्ज हुआ। जिसकी तरमीम पुराने नक्शे लटठा संवत 2027 में की गयी है। ग्राम गहलपुर के खसरा नम्बर 475/4 में नामान्तरण संख्या 515 स्वीकृत दिनांक 14/12/2010 से विभाजन होकर जमाबन्दी में दो खसरा नम्बर दर्ज हुये। जिनके नम्बर 475/1 रकबा 0.18.00 बीघा तथा 475/4/2 रकबा 3.12.00 बीघा जमाबन्दी मे दर्ज हुए। . ग्राम गहलपुर की जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बरों का रकबा एवं किस्म का इन्द्राज पूर्णतया बंटवारे के अनुसार सही है। परन्तु (सेग्रीगेशन) नक्शें में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम एक ही खसरा नम्बर 475/2 (पुराना) में कर दी गयी। तथा खसरा नम्बर 475/4 में नक्शे में कोई तरमीम नहीं की गयी जो गलत है। ग्राम गहलपुर के वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शे में खसरा नम्बर 906/475 को हटाकर उक्त खसरा नम्बर 896/475 की जगह प्रतिस्थापित कर खसरा नम्बर 896/475 की नई तरमीम वर्तमान खसरा नम्बर 895/475 के पश्चिम दिशा में कर संलग्न बंटवारा नक्शा अनुसार नक्शा शुद्ध किया जाना उचित है। तथा वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शे में 906/475 के खसरे को खसरा नम्बर 903/475 में विलय किया जाना उचित है। तत्पश्चात उक्त शुद्धि पुराने नक्शे लट्ठे अनुसार सहीं है। तथा मौके पर भी खातेदार इसी प्रकार काबिज है । श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गहलपुर के वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शे में खसरा नम्बर 906/475 को हटाकर उक्त खसरा नम्बर 896/475 की जगह प्रतिस्थापित कर खसरा नम्बर 896/475 की नई तरमीम वर्तमान खसरा नम्बर 895/475 के पश्चिम दिशा में कर संलग्न बंटवारा नक्शा अनुसार नक्शा शुद्ध करने का निवेदन किया गया ।

प्रकरण को दिनांक 4.9.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 68/2023 पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 1.8.2025 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 22 व 24 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई । पेरोकार सरकार तहसीलदार अराई का जवाब प्राप्त हुआ । पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में यह अंकन किया ळे कि ग्राम गहलपुर की जमाबंदी में खसरा नं0 475/2 व 475/4 का रकबा एवं किस्म का इन्द्राज पूर्णतया बंटवारे के अनुसार सही है परन्तु सेग्रीगेशन नक्शे में उक्त खसरा नं0 की तरमीम एक ही खसरा नं0 475/2 (पुराना) में कर दी गयी है । तथा खसरा नं0 475/4 में न्कशे में कोई तरमीम नही की गयी । जो गलत है । अतः न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम गहलपुर के वर्तमान सेग्रीगेशन मानचित्र में खसरा नं0 906/475 को हटाकर उक्त खसरा नं0 896/475 की जगह प्रतिस्थापित कर ख0नं0 896/475 की नई तरमीम वर्तमान ख0नं0 895/475 के पश्चिम दिशा में कर संलग्न बंटवारा नक्शा अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है तथा वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शे में 906/475 के खसरे को ख0नं0 903/475 में विलय किया जाना उचित है ।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वादअधीन भूमि ग्राम गहलपुर के वर्तमान सेग्रीगेशन मानचित्र में खसरा नं0 906/475 को हटाकर उक्त खसरा नं0 896/475 की जगह प्रतिस्थापित कर ख0नं0 896/475 की नई तरमीम वर्तमान ख0नं0 895/475 के पश्चिम दिशा में कर संलग्न बंटवारा नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करें । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार नक्शें में दुरूस्ती की जायेगी। नक्शे में दुरूस्ती इस प्रकार की जावे कि दुरूस्ती करने पर वर्तमान जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

(नीतू मीना)

उपखण्ड अधिकारी

अराँई (अजमेर)

अरांई (अजमेर)